न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 36 / 2017

मुकेश जैन, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नम्बर 21 शहर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 3–03–2017

निर्णय

दिनांक 22–11–2022

अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 03–03–2017 से प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई थी। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 03–03–2017 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्ष की वहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि जिला रसद अधिकारी ने अपीलाधीन आज्ञा देने से पूर्व ना तो समुचित जॉच की और ना ही मौके पर किसी भी उपभोक्ता के बयान लिये हैं। किसी भी उपभोक्ता ने अपीलान्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई गबन नहीं किया है। तहत न्यायालय का यह कथन कि एक ही आधार कार्ड से भिन्न भिन्न राशन कार्डो में उपयोग करके अपीलान्ट ने गबन किया है मौके के विपरीत है खाद्य सूची में दर्ज कई उपभोक्ताओं के आधार कार्ड नहीं बने हुये है। बिना आधार कार्ड के इन उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं मिल सकती थी जिस कारण उपभोक्ता आये दिन अपीलान्ट से झगड़ा फिसाद करते थे जिससे राशन सामग्री का वितरण मौके पर नहीं हो पाता था इन सभी परेशानियों से बचने के लिये आधार कार्डो का इस्तेमाल कर उपभोक्ता को राशन सामग्री दी गई किसी भी उपभोक्ता ने अपीलान्ट के विरुद्व राशन नही देने सम्वन्धी कोई शिकायत नहीं की है। अपीलान्ट अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट के खिलाफ एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी, जिसमें एफ.आर. लगाई

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

जा चुकी है प्रार्थी को पुलिस ने निर्दोष माना है। योग अभिभाषक का यह भी कहना है कि इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों को श्रीमान द्वारा पुनः जांच के लिये जिला रसद अधिकारी भरतपुर रिमान्ड किये गये हैं, प्रार्थी का प्रकरण भी रिमान्ड किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने पोस मशीन से एक ही आधार आर्डडी नम्बर 76116204066 से फर्जी ट्रांजेक्शन कर उसी आधार कार्ड धारक की बायोमैट्रिक पहचान अंकित कर गेंहू व कैरोसीन का कुटरचित वितरण पोस मशीन में दर्शाया जकार दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11,15 व 17सी का उलंघन किया गया है। पैराकार का यह भी कहना है कि एफ.आर. कोर्ट से मन्जूर नहीं हुई है जिसमें प्रोटस्ट किया गया है। अपीलान्ट अन्य प्रकरणों का हवाला देते हुये अपना प्रकरण पुनः जांच हेतु डीएसओ भरतपुर को भिजवाना चाहता है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 03–03–2017 का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली डीएसओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण दिनांक 3.1.2017 को दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट डीलर को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं, अपीलान्ट नियत दिनांक 25.1.2017 को उपस्थित होने के आर्डरसीट पत्रावली पर हस्ताक्षर किया हुये हैं। इसके बाद अपीलान्ट तारीख पेशी उपस्थित नहीं आया है अपीलाधीन आदेश पारित आदेश दिनांक 3.3.2017 को भी अपीलान्ट अनुपस्थित रहा है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलान्ट डीलर पर लगाये आरोपों के बाबत अपने स्तर पर कोई परिक्षण साक्ष्य वगे. नहीं ली है मात्र डीलर के जबाब प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर आरोपों को साबित मानते हुये अपीलाधीन आज्ञा पारित कर दी गई है, इस प्रकार का आदेश नोन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है। इस प्रकार यह तो निर्विवाद है कि यह अपीलाधीन आदेश तहत न्यायालय ने बिना परिक्षण किये बिना साक्ष्य सबूत लिये पारित किया है। अतः प्रार्थी को सुनवाई एवं जिरह का अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण पुनः जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 03–03–2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण का पुनः परीक्षण करें, अपीलान्ट को साक्ष्य वगे. पेश करने का समुचित अवसर देते हुये विधि सम्मत पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22–11–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर ,भरतपुर